

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-04/2020 से 09/2020 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के विभिन्न पदों का कट-ऑफ अंक।

विज्ञापन सं०-04/2020 से 09/2020 अन्तर्गत आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व के काउंसलिंग हेतु आयोग कार्यालय का पत्रांक-06, दिनांक-03.01.2022 से प्रकाशित कोटिवार कट-ऑफ अंक निम्नवत् है:-

(1)

विज्ञापन सं०-04/2020, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी	
कुल पदों की संख्या-1502	सभी अभ्यर्थी आमंत्रित

(2)

विज्ञापन सं०-05/2020, आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक)				
श्रेणी	कुल पदों की संख्या	कट-ऑफ मार्क्स (सामान्य)	महिला	कट-ऑफ मार्क्स (महिला)
अनारक्षित (UR)	50	65.572	18	64.48
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	12	63.544	03	50.716
अनुसूचित जाति (SC)	20	61.414	08	38.328
अनुसूचित जनजाति (ST)	02	62.614	00	---
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	23	63.442	09	53.562
पिछड़ा वर्ग (BC)	15	63.724	05	61.186
पिछड़े वर्गों की महिला (WBC)	04	60.268	00	---
कुल:-	126	---	---	---
दिव्यांग	04	दृष्टि		36.06
		मूक-बधिर		44.564
		चलन		62.224
		मनोविकार		---
FF	02		50.442	

(3)

विज्ञापन सं०-06/2020, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी				
श्रेणी	कुल पदों की संख्या	कट-ऑफ मार्क्स (सामान्य)	महिला	कट-ऑफ मार्क्स (महिला)
अनारक्षित (UR)	345	60.058	121	44.496
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	89	38.184	25	38.184
अनुसूचित जाति (SC)	150	सभी आमंत्रित	52	सभी आमंत्रित
अनुसूचित जनजाति (ST)	10	38.274	03	38.046
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	164	39.858	59	39.012
पिछड़ा वर्ग (BC)	107	41.4	35	41.028
पिछड़े वर्गों की महिला (WBC)	29	39.426	00	---
कुल:-	894	---	---	---
दिव्यांग				सभी आमंत्रित
FF				सभी आमंत्रित

(4)

विज्ञापन सं०-07/2020, आयुष फिजिशियन (होमियोपैथिक)				
श्रेणी	कुल पदों की संख्या	कट-ऑफ मार्क्स (सामान्य)	महिला	कट-ऑफ मार्क्स (महिला)
अनारक्षित (UR)	31	71.59	11	66.67
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	07	64.66	02	63.19
अनुसूचित जाति (SC)	12	63.172	04	46.174
अनुसूचित जनजाति (ST)	01	65.74	00	—
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	14	66.262	05	64.144
पिछड़ा वर्ग (BC)	09	67.024	03	65.542
पिछड़े वर्गों की महिला (WBC)	02	65.038	00	—
कुल:-	76	—	—	—
दिव्यांग	03	दृष्टि		53.238
		मूक-बधिर		45.724
		चलन		65.812
		मनोविकार		—
FF	01		59.614	

(5)

विज्ञापन सं०-08/2020, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	
कुल पदों की संख्या-622	सभी अभ्यर्थी आमंत्रित

(6)

विज्ञापन सं०-09/2020, आयुष फिजिशियन (यूनानी)				
श्रेणी	कुल पदों की संख्या	कट-ऑफ मार्क्स (सामान्य)	महिला	कट-ऑफ मार्क्स (महिला)
अनारक्षित (UR)	20	69.592	08	65.374
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	05	66.664	01	64.426
अनुसूचित जाति (SC)	08	सभी आमंत्रित	03	कोई अभ्यर्थी नहीं है।
अनुसूचित जनजाति (ST)	01	कोई अभ्यर्थी नहीं है।	00	कोई अभ्यर्थी नहीं है।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	09	67.294	03	64.324
पिछड़ा वर्ग (BC)	06	64.9	02	41.856
पिछड़े वर्गों की महिला (WBC)	01	64.042	00	—
कुल:-	50	—	—	—
दिव्यांग	02	दृष्टि		39.54
		मूक-बधिर		42.222
		चलन		
		मनोविकार		
FF	01		कोई अभ्यर्थी नहीं है।	

ह०/-
प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०- 08 / 2020 (यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी) एवं विज्ञापन सं०-09 / 2020 (आयुष फिजिशियन (यूनानी)) के काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना एवं दिशा निर्देश:-

विज्ञापन संख्या-08/2020 यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी एवं 09/2020 (आयुष फिजिशियन (यूनानी)) के पद पर नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA No.-572/2022 एवं LPA No.-573/2022 में पारित आदेश तथा स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-425(आ०चि०), दिनांक-10.05.2023 एवं पत्रांक-479(आ०चि०), दिनांक-25.05.2023 से प्राप्त निदेश के आलोक में कोटिवार 23 वर्षों का छूट अधिकतम आयु-सीमा में देते हुए, आयोग के पत्रांक-1732, दिनांक-20.06.2023 के द्वारा सूचना प्रकाशित कर दिनांक-22.06.2023 से 01.07.2023 Online आवेदन प्राप्त किया गया है।

उक्त अवधि में प्राप्त आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा Online आवेदन में किये गये दावे के आधार पर Software द्वारा की गयी गणना के अनुसार पूर्व में आयोग के पत्रांक-06 दिनांक-03.01.2020 द्वारा उक्त विज्ञापनों हेतु निर्धारित कोटिवार कट-ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों का दिनांक-10.08.2023 को द्वितीय पाली में काउंसलिंग का कार्य बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना में आयोजित किया जायेगा। विज्ञापनवार काउन्सलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची रजिस्ट्रेशन नम्बर के अनुसार तिथिवार संलग्न है।

वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन सं०-08/2020 एवं विज्ञापन सं०-09/2020 दोनों में आवेदन किया गया है एवं मेधा के आधार पर उन्हें दोनों विज्ञापन में काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया गया है, का काउंसलिंग एक बार विज्ञापन सं०-09/2020 के अंतर्गत किया जाएगा एवं उक्त दोनों पदों हेतु उनके अभ्यर्थिता पर विचार काउंसलिंग में उनके द्वारा समर्पित विकल्प प्राथमिकता प्रपत्र के आधार पर किया जाएगा।

वैसे अभ्यर्थियों को पूनः विज्ञापन सं०-08/2020 हेतु अलग से काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन नम्बर के अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर विज्ञापन में वर्णित एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति, आवेदन की डाउनलोडेड प्रति तथा सत्यापन हेतु सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे।

काउन्सलिंग में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्देश है कि निम्नलिखित दिशा निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:-

1. सभी प्रमाण-पत्र, अंक पत्र (स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति सहित) मूल में काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (देखे संलग्न चेक रिल्लप)।
2. सभी प्रमाण-पत्र की निर्गत तिथि आवेदन के अंतिम तिथि दिनांक-01.07.2023 से पूर्व का निर्गत होना अनिवार्य है।
3. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत होना चाहिए तथा अनुभव प्रमाण-पत्र निर्गत करने की तिथि दिनांक-01.07.2023 तक का होना चाहिए एवं कार्यानुभव की गणना दिनांक-28.10.2020 तक किया जाएगा।

4. Online आवेदन तथा ऑनलाईन आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र की Downloaded Hard Copy स्व-अभिप्रमाणित कर काउंसलिंग के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
5. Online आवेदन में upload किये गए Photograph की 5 (पाँच) प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
7. किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
8. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः काउंसलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
9. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. वैसे अभ्यर्थी जो दो पदों यथा यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी (08/2020) एवं आयुष फिजिशियन (यूनानी) (09/2020) दोनों में काउंसलिंग हेतु आमंत्रित हैं उनके द्वारा संलग्न पद विकल्प प्राथमिकता प्रपत्र में चयन हेतु प्रथम पद एवं द्वितीय पद की प्राथमिकता अंकित कर काउंसलिंग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
11. यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब काउंसलिंग के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थाई अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण-पत्र जमा कर मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
12. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-673, दिनांक-08.03.2011 एवं पत्रांक-704, दिनांक-10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थाई अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण-पत्र जमा कर मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
13. काउंसलिंग के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। काउंसलिंग में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। काउंसलिंग के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। काउंसलिंग के लिए संलग्न रजिस्ट्रेशन नम्बर वाले अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी व्यक्ति का काउंसलिंग स्थल में प्रवेश वर्जित होगा।
14. अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि आयोग द्वारा जब भी इस संबंध में समय-समय पर कोई सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है तो इसे वे अपने ध्यान में अनुपालन हेतु रखेंगे। इसके लिए अलग से उन्हें कोई व्यक्तिगत सूचना देने/नहीं देने के बिन्दु पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।
15. आवेदन में अंकित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन हेतु आवश्यक निम्नलिखित सभी प्रमाण-पत्र (वर्णित क्रम में) काउंसलिंग के समय मूल से मिलान कर स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा:-

(A) राज्य सरकार के सामान्य शर्तों के अनुपालन हेतु:-

- (i) जन्म तिथि हेतु मैट्रिकुलेशन का प्रमाण-पत्र।
- (ii) निवास प्रमाण-पत्र।

- (iii) फोटोयुक्त पहचान पत्र (Aadhaar Card/Pan Card/Driving Licence/Passport /Voter ID).
- (iv)* अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।
- (v)* पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है)।
- (vi)* पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र (विगत 01 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर)।
- (vii)* आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र (विगत एक वर्ष के अंदर का निर्गत होना चाहिए)।
- (viii)* दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र।
- (ix)* स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारियों द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण-पत्र।
- (x) ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गए फोटोग्राफ की 5 प्रति।

(B) संवर्गीय नियमावली के दिशा-निर्देश के अनुपालन हेतु :-

- (i) बी०यू०एम०एस० (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसीन एण्ड सर्जरी) जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो का प्रोविजनल अथवा मूल प्रमाण-पत्र।
- (ii) बी०यू०एम०एस० (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसीन एण्ड सर्जरी) के सभी वर्षों का अंक-पत्र।
- (iii) अनिवार्य इण्टर्नशीप प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र।
- (iv) बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद से निबंधन का प्रमाण-पत्र अथवा Acknowledgment रसीद।
- (v)* स्नाकोत्तर उपाधि/उच्चतर उपाधि के लिए (एम०डी०/एम०एस० (यूनानी) या इससे उच्चतर उपाधि का प्रमाण-पत्र।
- (vi)* कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र (बिहार सरकार के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सकों को कार्य अनुभव के लिए।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन की छायाप्रति।
- (viii)* विकल्प प्रपत्र।

*आवेदक द्वारा दावा करने की स्थिति में सत्यापन किया जाना है।

16. अंक सत्यापन प्रपत्र के निर्धारित कॉलम में अभ्यर्थी द्वारा "आवेदन के अनुसार" प्राप्त होने वाले अंकों को जोड़ कर लिखना होगा तथा सभी कॉलम भरकर हस्ताक्षर करना होगा।

804
18. 2023
प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी एवं के काउंसलिंग के लिए चेक लिस्ट

विज्ञापन सं०-08/2020

दिनांक -----

1.	नाम :-	
2.	पिता का नाम:-	
3.	स्थायी पता :-	
4.	ऑन-लाईन आवेदन का पंजीकरण संख्या:-	
5.	जन्म तिथि:-	दिनांक-01.08.2020 को आयु (साल, महिना, दिन) :-
6.	श्रेणी :-	A. अनारक्षित / इ०डब्लू०एस० / बी०सी० / ई०बी०सी० / एस०सी० / एस०टी०। B. दिव्यांग / स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी C. बिहार राज्य के मूल निवासी :- <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं

7. समर्पित किये गये प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित (मूल से मिलान कर) छायाप्रति :-
- (A) राज्य सरकार के सामान्य शर्तों के अनुपालन हेतु :-
- (i) जन्म तिथि हेतु मैट्रिकुलेशन का प्रमाण-पत्र। 1
- (ii) निवास प्रमाण-पत्र। 2
- (iii) फोटोयुक्त पहचान पत्र (Aadhaar Card/Pan Card/Driving Licence/Passport /Voter ID). 3
- * (iv) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)। 4
- * (v) पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है)। 5
- * (vi) पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा-पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर)। 6
- * (vii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र, (विगत एक वर्ष के अंदर निर्गत)। 7
- * (viii) दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र। 8
- * (ix) स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारियों द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण-पत्र। 9
- (x) ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गए फोटोग्राफ की 5 प्रति। 10

- (B) संवर्गीय नियमावली के दिशा-निर्देश के अनुपालन हेतु :-
- (i) बी०यू०एम०एस०(बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसीन एण्ड सर्जरी) जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो का प्रोविजनल अथवा मूल प्रमाण-पत्र।
 - (ii) बी०यू०एम०एस०(बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसीन एण्ड सर्जरी) के सभी वर्षों का अंक-पत्र।
 - (iii) अनिवार्य इण्टर्नशीप प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र।
 - (iv) बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद से निबंधन का प्रमाण-पत्र अथवा Acknowledgement रसीद।
 - *(v) स्नातकोत्तर उपाधि/उच्चतर उपाधि के लिए (एम०डी०/एम०एस० (यूनानी) या इससे उच्चतर उपाधि का प्रमाण पत्र ।
 - *(vi) कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र (बिहार सरकार के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों / औषधालयों में संविदा के आधार पर नियुक्ति के उपरान्त कार्यरत चिकित्सकों को कार्य अनुभव के लिए)।
 - (vii) ऑनलाईन आवेदन की छायाप्रति ।
 - *(viii) विकल्प प्रपत्र ।

1
2
3
4
5
6
7
8

* आवेदक द्वारा दावा करने की स्थिति में सत्यापन किया जाना है।

मेरे द्वारा उपरोक्त कंडिका 7 के उप कंडिका-A..... तथा B.....
..... को छोड़कर शेष उप कंडिकाओं में अंकित दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ
समर्पित की गयी। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा समर्पित सभी दस्तावेज सही है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर (तिथि सहित)

अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ का मिलान मूल दस्तावेज से किया गया एवं इसे मूल दस्तावेजों के अनुरूप पाया गया। प्राप्त किए गए दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ को फोल्डर में पृष्ठ से पर संलग्न किया गया। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार की :-

- आयु सीमा सही है :- (आयु)
- अभ्यर्थी का कोटि का दावा मान्य है/नहीं है :- (कोटि)
- अभ्यर्थी का अनुभव का दावा मान्य है/नहीं है :- (अनुभव अवधि)

कोई विशेष टिप्पणी यदि हो, तो अंकित करें।

सहायक का हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

प्रशाखा पदा० का हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

प्रभारी पदा० का हस्ताक्षर
(तिथि सहित) *

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी का अंक सत्यापन प्रपत्र

1	विज्ञापन संख्या :- 08 / 2020					
2	पद का नाम:- यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी					
3	पंजीकरण संख्या (Registration No.) :- BR00150.....					
4	अभ्यर्थी का नाम:-					
5	शैक्षणिक योग्यता:-		आवेदन के अनुसार (कुल पूर्णांक प्राप्तांक के आधार पर)		सत्यापन के अनुसार	
a	बी०यू०एम०एस०(बिचलर ऑफ यूनानी मेडिसीन एण्ड सर्जरी) का अंक:-		प्राप्तांक %	प्राप्तांक % X 0.6	प्राप्तांक %	प्राप्तांक % X 0.6
			प्राप्तांक	पूर्णांक		
	1 st					
	2 nd					
	3 rd					
	4 th					
	कुल					
b	स्नाताकोत्तर उपाधि/उच्चतर उपाधि (एम०डी०/एम०एस० यूनानी या इससे उच्चतर उपाधि) का अंक		N/A		N/A	
c	कार्य अनुभव का अंक:- (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कार्य अनुभव के लिए 5 अंक अधिकतम 25 अंक) (अंश वर्ष हेतु अनुपातिक अंक देय होगा)		कार्यावधि —————(कार्य दिवस)		कार्यावधि —————(कार्य दिवस)	
d	कुल अंक:-		N/A		N/A	

दिनांक:-

स्थान- बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

अभ्यर्थी का हस्तारक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि कंडिका -5 (a), (b), (c) एवं (d) में अंकित प्राप्तांक/अंक का सत्यापन मूल प्रमाण-पत्र अथवा सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र से कर लिया गया है एवं की गई गणना सही है।

सहायक/डाटा इण्ट्री ऑपरेटर

प्रशाखा पदाधिकारी

प्रभारी पदाधिकारी

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

काउंसलिंग हेतु प्राप्ति रसीद।

1	विज्ञापन संख्या :-08/2020
2	पद का नाम:- यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी
3	पंजीकरण संख्या (Registration No.) :-BR00150.....
4	अभ्यर्थी का नाम:-
5	दिनांक:-

चेक लिस्ट के निम्नलिखित कंडिकाओं से संबंधित प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति जमा किया गया है। (चिन्हित करे ✓ X)

7. A :- (i) (ii) (iii) (iv) (v)
(vi) (vii) (viii) (ix) (x)
7. B :- (i) (ii) (iii) (iv) (v)
(vi) (vii) (viii)

उपरोक्त में निम्नांकित प्रमाण-पत्र:-

- 1.
- 2.
- 3.

मूल में उपस्थापित नहीं किया गया है/त्रुटिपूर्ण पाया गया है। (जो लागू नहीं हो
काट देंगे)

(त्रुटि का कारण

..... संक्षेप में)

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
टेबुल संख्या